LL.B.6Sem.(C.P.C.)

Sec.(60-64 Attachment.)

By- Banshlochan Prasad.

Scanned with CamScanner

कुर्की (धारा 60 से 64) -

धारा 60. वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी – धारा 60 यह उपबंध करती है कि धन के भुगतान के लिए पारित डिक्री के निष्पादन में कौन सी संपत्ति कुर्क और विक्रय की जा सकेगी और कौन सी संपत्ति कुर्क और विक्रय नही की जा सकेगी | यह धारा संपत्ति अंतरण अधिनियम की **धारा 6** के समान है | दोंनो में अंतर यह है कि प्रत्येक संपत्ति जिसका अंतरण, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत हो सकता है उस संपत्ति की कुर्की संहिता की **धारा 60** के अंतर्गत नही हो सकती है |

इस धारा के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की हेतु यह आवश्यक है कि वह संपत्ति **"विक्रय योग्य संपत्ति"** होनी चाहिए |

किसी भी संपत्ति के विक्रय योग्य होने के लिए यह आवश्यक है कि –

1. संपत्ति **विद्यमान** होनी चाहिए | भविष्य में होने वाली या अनिश्चित लाभ बिक्री योग्य संपत्ति की परिभाषा में नही आएगा |

2. संपत्ति **अंतरण योग्य** होना चाहिए | यथा किसी मकान में रहने का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है और वह अंतरणीय नही है अतः **धारा 60** के अधीन विक्रय योग्य नही है |

कुर्क की जाने वाली संपत्ति – उदाहरणस्वरूप कुछ संपत्ति गिनाई जा सकती है **जैसेकि** – भूमि, गृह, माल, बैंक नोट, चेक, विनिमयपत्र, हुंडी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, धन के लिए बंधपत्र या अन्य प्रतिभूतियां, ऋण, निगम, अंश तथा वे सभी चल या अचल संपत्ति जो निर्णीत-ऋणी की हैं एवं जिनके लाभों पर वह ऐसी व्ययन शक्ति रखता है जिसे वह अपने फायदे के लिए

Scanned with CamScanner

उपयोग कर सकता हो |

<u>संपत्ति जो कुर्क नही की जा सकती</u> – निम्नलिखित संपत्ति को कुर्क नही किया जा सकता –

1. निर्णीत-ऋणी, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन पकाने के वर्तन, चारपाई और बिछौने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नही कर सकती जैसे विवाह की अंगूठी, मंगलसूत्र आदि |

2. शिल्पी (सुनार, लोहार, बढई) के औजार इत्यादि कुर्की से मुक्त है | अगर निर्णीत-ऋणी कृषक है तो उसके कृषि के उपकरण कुर्क नही किये जा सकते | मोटर टैक्टर कृषि उपकरण की परिभाषा में नही आता क्योकि यह खेती के लिए अपरिहार्य नही है |

धारा 60 का **स्पष्टीकरण 5** के अनुसार **'कृषक'** शब्द से ऐसा अभिप्रेत है जो स्वयं खेती करता है और जो अपनी जीविका के लिए मुख्यतः कृषि की आय पर निर्भर है चाहे स्वामी के रूप में या अभिधारी, भागीदार या कृषि श्रमिक के रूप में |

3. किसी कृषक या श्रमिक या घरेलु नौकर के मकान या भवन, मकान या भवन के लिए भूमि, मकान या भवन सामाग्री, मकान या भवन से संलग्न भूमि जो उसके उपयोग के लिए आवश्यक है |

4. लेखा बहियाँ

5. नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र

6. वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार | अगर किसी को

Scanned with CamScanner

6. वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार | अगर किसी को वृत्ति प्राप्त होती है तो उसे **धारा 60** के अधीन कुर्क नही किया जा सकता है |

7. वे वृत्तिकाएं या वृत्तियाँ और उपादान जो सरकार के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के या किसी अन्य नियोजन के पेंशन भोगियों को अनुज्ञात है या ऐसी किसी सेवा कुटुम्ब पेंशन निधि में से जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की गयी है, संदेय है और राजनैतिक पेंशन |

8. श्रमिकों और घरेलु नौकरों की मजदूरी चाहे वह धन या वस्तु के रूप में संदेय हो | मजदूरी के अंतर्गत बोनस भी सम्मिलित है |

9. भरण-पोषण की डिक्री से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में वेतन के **प्रथम एक हजार** और बाकी का दो तिहाई कुर्क नही किया जा सकता है |

10. भरण-पोषण की डिक्री में वेतन का **एक तिहाई** कुर्क नही किया जा सकता |

11. सेना, वायुसेना और नौसेना के सैनिको का वेतन और भत्ते कुर्की से मुक्त हैं |

12. सभी प्रकार के ऐसे निक्षेप या अन्य राशियाँ जो ऐसी निधि से प्राप्त की गयीं हैं या निधि में डाली गयीं है जिनपर **भविष्य निधि अधिनियम, 1925** तत्समय लागू है |

13. सभी प्रकार के ऐसे निक्षेप या अन्य राशियाँ जो ऐसी निधि से प्राप्त की गयी हैं या उसमे डाली गयी है जिसपर **लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968** लागू होता है |

14. निर्णीत-ऋणी के जीवन पर बीमा पालिसी के अधीन संदेय

Scanned with CamScanner

14. निर्णीत-ऋणी के जीवन पर बीमा पालिसी के अधीन संदेय सभी धन |

15. किसी निवास गृह के पट्टेदार का हित |

16. अगर उपयुक्त या समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके घोषित करे कि किसी सरकारी सेवक को प्राप्त राशि जो उसके वेतन का भाग है, कुर्की से छुट प्राप्त है | किसी सरकारी सेवक को निलंबन काल में दिया गया जीवन निर्वाह भत्ता |

17. उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की प्रत्याशा अथवा अन्य मात्र संभावित या संभव अधिकार या हित |

18. भावी भरण-पोषण का अधिकार | किन्तु भरण-पोषण की बकाया राशि को कुर्क किया जा सकता है |

19. ऐसा भत्ता, जिसके बारे में किसी भारतीय विधि ने यह घोषित किया है कि वह डिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रय के दायित्व से छुट प्राप्त है |

20. जहां निर्णीत-ऋणी कोई ऐसा व्यक्ति है जो भू-राजस्व संदाय के लिए दायी है, वहां कोई ऐसी जंगम संपत्ति जो ऐसे राजस्व की बकाया वसूली के लिए किये जाने वाले विक्रय में से किसी विधि के अंतर्गत जो उस समय लागू है, छुट प्राप्त है |

<u>नोट</u> - यह धारा निर्णय पूर्व कुर्की के सम्बन्ध में लागू नही होती है क्योकि वह डिक्री के निष्पादन में कुर्की नही है | इसी प्रकार से इस धारा के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि निर्णीत-ऋणी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए | कभी-कभी स्वामी नही भी होता उसके बावजूद भी यदि उसके पास व्ययन का अधिकार है तो वह

Scanned with CamScanner

उसके बावजूद भी यदि उसके पास व्ययन का अधिकार है तो वह संपत्ति कुर्क होने योग्य है।

जैसे – संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता।

धारा 61. कृषि उपज को भागतः छुट – राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि कृषि उपज का वह भाग जो कृषक के लिए अगली फसल तक खेती करने के लिए तथा निर्णीत-ऋणी और उसके कुटुम्ब के निर्वाह के लिए आवश्यक है, कुर्की से छुट प्रदान की जाये। कृषि उपज के जिस अंश को छुट दी गयी है वह न तो कुर्क की जा सकती है और न ही डिक्री के निष्पादन में बेचीं जा सकती है।

आदेश 21 नियम 44 के अनुसार जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति कृषि-उपज है वहां कुर्की के एक वारन्ट की प्रति –

1. उस दशा में जिसमे ऐसी उपज उगती फसल है, उस भूमि पर लगाकर जिसमे ऐसी फसल उगी है, अथवा

2. उस दशा में जहां ऐसी फसल काटी जा चुकी है या इकट्ठा किया जा चुका है तो खलिहान या अनाज इकठ्ठा करने के स्थान पर या जहां वह निर्णीत-ऋणी मामूली तौर पर निवास करता है या न्यायालय की इजाजत से उस के गृह के, जिसमे वह कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है या जिसके बारे में यह ज्ञात है कि वहां वह अंतिम बार निवास किया था या कारबार किया था,

उस स्थान के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाकर कुर्क की जायेगी और तब यह समझा जाएगा कि उपज न्यायालय के कब्जे में आ गयी है।

Scanned with CamScanner

कब्जे में आ गयी है।

धारा 62. <u>निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण</u> – धारा 55 में इस बात का उपबंध किया गया है कि निर्णीत-ऋणी को किस प्रकार गिरफ्तार किया जाएगा। **धारा 62** यह बताती है कि निष्पादन में अचल संपत्ति का अभिग्रहण कैसे किया जाये। इस धारा की शर्तें उसी प्रकार है जैसी **धारा 55** की है।

धारा 63. <u>कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गयी संपत्ति</u> – जहां कोई संपत्ति किसी न्यायालय की अभिरक्षा में नही है और एक से अधिक न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गयी है वहां ऐसी संपत्ति को वह न्यायालय प्राप्त और निर्मुक्त कर सकेगा और उसके सम्बन्ध में किसी दावें या उसकी कुर्की के सम्बन्ध में किसी आक्षेप का अवधारण करेगा, जो सबसे उची श्रेणी का है या जहां ऐसे सभी न्यायालय बराबर श्रेणी के हैं वहां जिसकी डिक्री के अधीन संपत्ति सबसे पहले कुर्क की गयी थी। इस तरह धारा के अधीन उची श्रेणी के न्यायालय को यह जिम्मेदारी सौपी गयी है कि वह विक्रय आगम का विभाजन करे। ऐसा करके वह वास्तव में न केवल अपनी डिक्री का निष्पादन करता है बल्कि निचली श्रेणी के न्यायालयों की डिक्री का निष्पादन करता है।

इस धारा का उद्देश्य एक ही संपत्ति की कुर्की और विक्रय से उत्पन्न विभिन्न दावों को रोकना है।

धारा 64. <u>कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रामण का शून्य होना</u> – किसी डिक्री के निष्पादन मे अगर किसी संपत्ति की कुर्की कर दी गयी है तो कुर्की के पश्चात ऐसी संपत्ति का प्राइवेट अंतरण या उसमें का हित का अंतरण शून्य होगा।

<u>उद्देश्य</u> – डिक्रीधारी के साथ किये जाने वाले धोखे को रोकना

Scanned with CamScanner

न्यायालय बराबर श्रेणी के हैं वहां जिसकी डिक्री के अधीन संपत्ति सबसे पहले कुर्क की गयी थी। इस तरह धारा के अधीन उची श्रेणी के न्यायालय को यह जिम्मेदारी सौपी गयी है कि वह विक्रय आगम का विभाजन करे। ऐसा करके वह वास्तव में न केवल अपनी डिक्री का निष्पादन करता है बल्कि निचली श्रेणी के न्यायालयों की डिक्री का निष्पादन करता है।

इस धारा का उद्देश्य एक ही संपत्ति की कुर्की और विक्रय से उत्पन्न विभिन्न दावों को रोकना है।

धारा 64. कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रामण का शून्य होना – किसी डिक्री के निष्पादन मे अगर किसी संपत्ति की कुर्की कर दी गयी है तो कुर्की के पश्चात ऐसी संपत्ति का प्राइवेट अंतरण या उसमें का हित का अंतरण शून्य होगा।

उद्देश्य – डिक्रीधारी के साथ किये जाने वाले धोखे को रोकना तथा कुर्क कराने वाले ऋणदाता के अधिकार को सुरक्षित करना।

धारा 64 तभी लागू होगी जब संपत्ति की कुर्की अवश्य की जा चुकी हो। **धारा 64** के उपबंध निर्णय पूर्व कुर्की और निर्णय पश्चात कुर्की दोनों पर लागू होती है।

कुर्की का पर्यवसान – आदेश 21 नियम 57 के अनुसार जहां कोई साम्पत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क कर ली गयी है, वहां न्यायालय निष्पादन के आवेदन को किसी कारणवश खारिज करने का आदेश दे देता है तो वह यह भी निर्देश देगा कि ऐसी कुर्की जारी रहेगी या समाप्त हो जायेगी और यदि जारी रहेगी तो कब तक। यदि न्यायालय ऐसा आदेश देने में चुक करता है तो कुर्की का पर्यवसान माना जाएगा।

Scanned with CamScanner